न्यायालय में श्री मा नृ राजस्व मण्डल महो. ग्वालियर मध्य-प्रदेश

59

R-16-III/97

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 4-6-08 के पालन में संशोधन किया

नरदलू के विधिक वारिशान

(1) गुजरतिया (बाई) पुत्री स्व. नरदल पत्नी चन्दु चमार निवासी ग्राम दरैन (स्वस्तिका टोला) तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

(2) बुधनी पुत्री स्व. नरदलू पत्नी श्री समरथ चमार निवासी ग्राम मोहार टोला तहसील जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.)

(3) जानकीबाई पुत्री स्व. नरदलू पत्नी सुदामा चमार निवासी ग्राम-छपरा तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.)

(4) लोकन
(5) भुवनेश्वर
(6) पन्नेश्वर
पुत्रगण गुजरतिया बाई पुत्री स्व. श्री नरदलू पत्नी श्री धीरा निवासी बुदरी तहसील जयसिंह नगर जिला शहडोल (म.प्र.)

21-7-08

6.08 7.50

1

अपीलांट / आवेदक

रेस्पाडेन्टगण / अनावेदकगण

श्री मानृ अपर ... म0प्र0 बरुये ...14 आदेश दिनांक ... म0प्र0भू-रा0सं0

13/1/97

... की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.688 हे0 भूमि के भूमिस्वामी रेस्पा0गण है जो दर्ज अभिलेख है। रेस्पाडेन्टगण ने उक्त आराजी को अपीलांट से असी 40 वर्ष पूर्व 300 रु0 तीन सौ रुपये प्राप्त करके बिक्री कर दिये थे तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा दखल अपीलांट को सौप दिये थे यह लेन देन बिना लिखा पढ़ी के आपसी विश्वास व सद्भावना के किया गया था तब से अपीलांट आज तक मौके से वादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद रूप से काबिज दखील चला आ रहा है अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर काफी श्रम व पूंजी लगाकर काबिल काश्त बना लिया है चूंकि अपीलांट अनपढ़ व अशिक्षित हरिजन जाति का व्यक्ति है तथा वह कानूनी दांव पेंच से बिल्कुल अनभिज्ञ है तथा अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर लगभग 40 वर्ष पूर्व से निरन्तर चला आ रहा है इसलिये वह यह समझता था कि हल्का पटवारी द्वारा गश्त के दौरान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 16–तीन/1997 जिला– शहडोल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21–7–2016 | आवेदक अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्र0 324/अपील/93–94 में पारित आदेश दिनांक 17.10.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।<br>2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार जयसिंहनगर के न्यायालय में इस आशय का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर उसका लम्बे अर्से से कब्जा दखल है । उक्त विवादित भूमि पर उसका कब्जा लिखा जाये । नायब तहसीलदार जयसिंहनगर ने उसका आवेदन स्वीकार करते हुये कब्जा लिखे जाने का आदेश दिनांक 13.01.93 को पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शहडोल के न्यायालय में अपील पेश की जो स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 324/अपील/93–94 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 17.10.96 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त के उक्त आदेश दिनांक 17.10.96 के विरूद्ध आवेदक द्वारा इय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । | |

3/ आवेदक के अभिभाषक के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें संहिता की धारा 115 की मंशा है कि यदि तहसीलदार को यह पता चले कि उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखों में गलत या अशुद्धि प्रविष्टि की गई है तो वह सम्बन्धित व्यक्तियों से जानकारी हासिल करने के पश्चात जैसा कि वह उचित समझें उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाने का निर्देश दे सकता है इसके लिये समय सीमा की कोई प्रतिबन्ध नही है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर आवेदक का कब्जा कई वर्षो से चला आ रहा है । हल्का पटवारी द्वारा दौरान गस्त उसका कब्जा इन्द्राज नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को अर्जित अधिकार है कि विधिवत जांच करके कब्जा इन्द्राज करने का आदेश पातिर कर सकता है जो न्याय संगत है इसके लिये समय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर गौर न करके विधि के विपरीत आदेश पारित किया है । तर्क में उन्होंने बताया कि तहसीलदार जयसिंहनगर को न्यायालय ने प्रकरण के विचारण के दौरानी सम्बन्धित पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आदेश पारित किया है । सुनवाई के दौरान आवेदक ने पूरी तरह से अपने कथन में तथा उसके गवाहों का दावा स्वमेव सिद्ध है इसके विपरीत स्वयं अनावेदक व उसके गवाहों ने खुले न्यायालय में बयान दिये कि वादग्रस्त आराजी पर आवेदक का

कब्जा लम्बे समय अर्थात् 40 वर्ष से निरंतर चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का प्रमुख आधार यह लिया है कि संहिताक की धारा 115 व 116 के तहत कब्जा इन्द्राज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है जबकि विधि की मंशा है कि कब्जे को प्रविष्टि के लिये धारा 116 के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते और न्यायालय अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन आदेश पारित कर सकता है । मामला भले ही गलत शीर्ष में दर्ज है लेकिन तथ्य नहीं बदलते है तथा ऐसी तकनीकी त्रुटि के आधार पर पक्षकार का साभूत न्याय से बंचित नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में रेवन्यु निर्णय 1995 पेज 366 कुण्ठीबाई विरूद्ध ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी डबरा का न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है । जहॉ संहिता अथवा अधिनियम में कोई प्रावधान न हो वहॉ पर न्यायालय संहिता की धारा 32 तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत प्रदत्त अन्तनिर्हत शक्तियों का प्रयोग करके आदेश पारित कर सकते है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में खसरे के कॉलम नं0 12 में कब्जा इन्द्राज करने अथवा नवीन प्रविष्टि किये जाने के संबंध में संहिता अथवा अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है इसलिये ऐसे विवाद के निपटारे का आदेश संहिता की धारा 32 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पारित करना चाहिये तथा नायब तहसीलदार जयसिंहनगर द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है लेकिन अधीनस्थ ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दरकिनार रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आलोक्य आदेश स्थिर रखते

हुये गैर कानूनी रूप से आवेदक की अपील खारिज की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर, प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वर्ष 1997 से अर्थात लगभग 19 वर्ष से लंबित है। इस प्रकरण में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अभिलेख प्राप्त हुये हैं, परन्तु विचारण न्यायालय तहसीलदार जयसिंहनगर, जिला–शहडोल का अभिलेख और अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर, जिला–शहडोल का अभिलेख अप्राप्त है। विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख मंगाने हेतु कई बार पत्र जारी किये गये। जिसमें से विचारण न्यायालय के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि भोला पिता गणेश चमार की दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है । अतः नोटिस अदम तामील आवश्यक कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया है । किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख प्राप्त नहीं हुये है । चूंकि यह प्रकरण तहसीलदार जयसिंहनगर एवं अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर के अभिलेख के अभाव में लंबित रखा गया, किन्तु अब प्रकरण लंबित रखना उचित नहीं है क्योंकि 19 वर्ष बीत जाने के पश्चात अब और अधिक समय तक प्रकरण को लंबित रखना भी न्यायोचित नहीं होगा, इसलिए प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेख के

आधार पर ही किया जा रहा है।

6/ प्रकरण में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है । चूँकि आवेदक का पूर्व से अभिलेख पर कब्जा अंकित नहीं था इसलिये उसने कब्जा लिखे जाने का आवेदन प्रस्तुत किया । संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत गलत प्रविष्टि का सुधार किये जाने का आदेश दिया जा सकता है लेकिन ऐसी प्रविष्टि अंकित करने का आदेश इस धारा के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है । इसके अलावा धारा 116 में एक वर्ष की समय सीमा गलत प्रविष्टि के सुधार के लिये वर्णित है इस अवधि के अन्दर का सुधार नहीं चाहा गया है बल्कि पुराने कब्जा होना रहते हुये कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया गया है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि नायब तहसीलदार ने आवेदक के हित में विवादित कब्जा लिखे जाने का आदेश धारा 116 के अन्तर्गत लिखे जाने का आदेश देकर त्रुटि की है । अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है और अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर के आदेश को स्थिर रखने का जो निर्णय लिया है मैं उससे सहमत हूँ । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक

17.10.96 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य